राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी —

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 169/2020

जी.सी.एम.एस नम्बर :— 2020/00363

जयदेव पुत्र स्व. चतरूराम उम्र 70 वर्ष पेशा काश्त जाति जाट निवासी काजला तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

......आवेदक

ब—ना—म

1. निहाल सिंह पुत्र स्व. प्रहलाद जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. दयाचन्द पुत्र स्व. प्रहलाद जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मन्दरूप पुत्र स्व. प्रहलाद जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
4. रामोतार पुत्र स्व. प्रहलाद जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
5. कमलकोर पुत्री स्व. प्रहलाद जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
6. भानी पुत्री स्व. प्रहलाद जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
7. सन्तरा पुत्री स्व. प्रहलाद जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
8. भतेरी पुत्री स्व. प्रहलाद जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
9. धर्मपाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
10. महावीर पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
11. सुरजभान पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
12. जयनारायण पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी काजला तह0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
13. महीपाल पुत्र हेमराज जाति ज[illegible] निवासी क[illegible]ला [illegible]0 बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
14. लाडोदेवी पत्नी स्व. हेमराज [illegible] निवासी [illegible] बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
15. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला [illegible]नूं, राज0

......अ[illegible]गण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:50 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र संख्या:– 169 / 2020
जयदेव बनाम निहालसिंह आदि
निर्णय दिनांक:– 06–06–2022

:: निर्णय ::

दिनांक :– 06–06–2022

यह आवेदन पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम काजला तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के हाल खसरा नंबर 43 रकबा 1.49 है. का आवेदक एकांकी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है आवेदक ने अपनी उपरोक्त भूमि ख.नं. 43 में अपने रिहायशी मकान बना रखे है व एक कुआ आबाद है। ग्राम काजला तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के हाल ख.नं. 18 रकबा 0.05 है., ख.नं. 42 रकबा 1.51 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है. अनावेदकगण सं. 9 लगा. 14 खातेदार दर्ज रिकार्ड है ख.नं. 18 व ख.नं. 42 के मध्य से एक.आम रास्ता नजरी नक्शा के अनुसार रिकार्ड में है जिसका ख.नं. 38 दर्ज रिकार्ड है। ग्राम काजला स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार ख.नं. 19 रकबा 0.51 है., ख.नं. 44 रकबा 0.33 है., ख.नं. 85 रकबा 0.19 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.43 है. अनावेदकगण सं. 1 लगा. 8 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि के ख.नं. 19 व ख.नं. 44 के बीच में से उपरोक्त वर्णित रास्ता आगे दूसरे गांव चला जाता है जिसका इन्द्राज भी नक्शा ट्रेस ग्राम काजला में दर्ज रिकार्ड है। आवेदक व अनावेदकगण एक ही पूर्वज स्व. श्योनारायण के वंशज है। आवेदक व अनावेदक सं. 1 लगा. 14 ने अपने पिता के समय से ही उक्त वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त हो गये थे तथा 1990.–91 में ही आंवेदक व अनावेदकगण ने अपने–अपने खेतों व कुए पर जाने के लिए एक रास्ता आम जो ख.नं. 19 व 44 के मध्य से व ख.नं. 18 व 42 के मध्य से जाने वाले खेत आवेदक तक लगभग 12 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया था। लेकिन उक्त रासता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से आये दिन आवेदक को अपने खेत ख.नं. 43 में फसल काश्त करने के लिए ऊंटगाड़ी, ट्रेक्टर आदि ले जाने से अनावेदकगण मना कर देते हैं जिससे पक्षकारान में हमेशा झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। इसलिये आवेदक के लिए यह आवश्यक है कि वह ख.नं. 18, 42 व 19, 44 के मध्य से जाने वाले आम रास्ते से आवेदक के खेत ख. नं. 43 तक रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदक उक्त रास्ते बाबत प्रतिकर देने के लिए तैयार है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम काजला तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.नं. 18 व 42 तथा ख.नं. 19 व 44 के मध्य से जाने वाले आम रास्ते से आवेदक के खेत कुऐ व रिहायशी मकानात जो ख.नं. 43 में बने हुए तक 12 फुट रास्ता लिवाया जाने का आदेश प्रदान करें तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की कृपा करें।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदकगण सं. [illegible] सम्यक् तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] लाई गई।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि [illegible] मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने जरिये पत्र [illegible] भू.अ. / 2021 / 652 दिनांक 10.02.2021 से मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस संलग्न कर भिजवाई है। तहसीलदार, बुहाना की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 39 रास्ता से निकटतम रास्ता ख.नं. 44 में 48 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता 192 वर्गमीटर 0.02 है. दिया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:11:50 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान [redacted] प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार, बुहाना ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। तहसीलदार, बुहाना के मुताबिक खसरा नंबर 43 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 44 में से नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 मीटर चौड़ाई में 192 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 43 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बुहाना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम काजला तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 43 है. में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम काजला खसरा नंबर 44 में से लाल स्याही से अंकित नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) के अनुसार 4 मीटर चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 39 तक कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अंतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 192 वर्गमीटर भूमि की जितनी कीमत होती है उसकी दुगुनी राशि प्रार्थीगण तहसीलदार, बुहाना के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, बुहाना खसरा नंबर 44 के खातेदारों को प्रतिकार की रकम नियमानुसार अदा करें। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 44 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में राजकीय खाते में "गै.मु.रास्ता" के रूप में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 06 –06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:11:50 IST
Reason: SelfAttested